लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 84/2017

श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1: श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 16.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2073 में श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर ने ग्राम सरवाड़ के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 723 में से रकबा 1 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का गेट बनाकर अतिक्रमण कर लिया है, इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 1002/2013 पंजीबद्व किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 07.03.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 07.03.2017 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट जरिये वकील उपस्थित हुए तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि न्याय का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जवाब एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 732 के समीप ही विवादित भूमि है तथा अपीलान्ट को अपने खेतों में आने जाने हेतु विवादित भूमि में से निकलना पड़ता है। अपीलान्ट ने अपनी फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु गेट बनाया है जो किसी भी प्रकार से अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता है। विवादित भूमि के समीप ही अपीलान्ट की खातेदारी भूमि स्थित होने से अपीलान्ट विवादित भूमि के नियमन का अधिकारी है। उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश साइक्लोस्टाईल है जिसमें केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है जो निर्णय की श्रेणी में परिभाषित नहीं होता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार सरवाड़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि वे अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

लोक अदालत ... न्याय आपके द्वार 2017

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से लोहे का गेट लगाकर अतिक्रमण किया गया है, इस तथ्य को वे स्वयं स्वीकार करते है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का गेट बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस तथ्य को अपीलान्ट स्वयं स्वीकार कर रहे है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलान्ट स्वयं एवं जरिये अभिभाषक उपस्थित रहे है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर देकर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर,
अजमेर